हमारे संविधान की उद्देशिका : समाजवाद और जातिवाद के परिप्रेक्ष्य में

विपिन कुमार सिंह

प्रायः प्रत्येक अधिनियम के प्रारम्भ में एक उद्देशिका रहती है, किसी भी देश का संविधान उसकी सभ्यता, संस्कृति एवं भाासन व्यवस्था का दर्पण होता है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज होता है। सामान्यतया प्रत्येक संविधान में उसकी अपनी उद्देशिका होती है जिसमें उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए संविधान के रचने की परिकल्पना की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भी उन आदर्शों को अपनाया गया है, जो इस प्रकार है–

''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों कोः सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारे संविधान की उद्देशिका स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी शक्तियों का स्त्रोत 'भारत के लोग' हैं। किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है।